08-06-2020

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।
आवेदक द्वारा श्री असलम खान अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली सुपुर्दगी आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र बिलपांक से अपराध क्रमांक 227/2020 की डायरी कोर्ट के ई–मेल आई.डी. पर थाना प्रभारी के प्रतिवेदन सहित प्राप्त।

पत्रावली सुपुर्दगी आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए।
आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता ने आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुरूप तर्क करते हुए जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने का निवेदन किया।

केसडायरी का मय प्रतिवेदन के अवलोकन किया गया।

केस डायरी के साथ थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अवलोकन से दर्शित होता है कि थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को राजसात की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। केस डायरी में संलग्न पत्र के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि राजसात की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

Scanned with CamScanner

ORDER SHEET

IN THE COURT

_____

_____ of 20

_____

Date of order or proceeding	order or Proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये है। उक्त न्यायदृष्टांत के अवलोकन से दर्शित होता है कि यदि राजसात की कार्यवाही प्रारंभ होने की सूचना न्यायालय को प्राप्त न हुई हो तो न्यायालय को वाहन को सुपुर्दगी पर देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। केस डायरी में संलग्न विभिन्न पत्रकों के अवलोकन से दर्शित होता है कि राजसात की कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन मई माह में ही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष राजसात की कार्यवाही लंबित है या नहीं, इस संबंध में प्रतिवेदन थाना प्रभारी एवं कलेक्टर महोदय से बुलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायदृष्टांत **गब्बू विरूद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश (एम.सी.आर.सी. नंबर 11979/2016)** में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि न्यायालय द्वारा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने के पूर्व कलेक्टर महोदय से यह सुनिश्चित किया जाता है कि राजसात की कार्यवाही प्रारंभ हुई है या नहीं तो इसमें कोई अनियमितता नहीं मानी जावेगी। अतः आज दिनांक को सुपुर्दगी आवेदन पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय को पत्र लिखकर यह सूचना प्राप्त की जावे की जप्तशुदा वाहन के संबंध में सुपुर्दगी की कार्यवाही प्रारंभ हुई है या नहीं। प्रकरण सुपुर्दगी आवेदन पर विचार हेतु दिनांक 10.06.2020 को पेश हो। प्रियंका मालपानी राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रतलाम	

Scanned with CamScanner